संख्या-22/2026/I/1278504/2026/11-4099/80/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत **वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-बी-1-5-बजट/पुनर्विनियोजन/2025-2026/798/ राज्य कर, दिनांक 13.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 2040-800-06-वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के मानक मद 01-वेतन मद में सम्भावित बचत से लेखाशीर्षक लेखाशीर्षक 2040-800-06-वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान के विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 12.67 लाख (रुपये बारह लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-06-**वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान**, **लखनऊ** के विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कुल **रू0 7.40 लाख (रु0 सात लाख चालीस हजार मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति (**संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार**) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।

3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

4. प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला

लेखाशीर्ष: 2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
2	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	29 अनुरक्षण	1,40,000 (रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र)
3	089	2040008000600 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ	42 अन्य व्यय	4,00,000 (रुपये चार लाख मात्र)
	कुल			**7,40,000 (रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र)**

महायोग	7,40,000 (रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A011-20252026-11-4099-80-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर के उपशीर्षक-06 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान में प्राविधिक धनराशि से पुर्नविनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था/स्वीकृति प्रदान कराने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	01 (वेतन)	7,00,00,000 रुपये सात करोड़ मात्र	12,67,000 रुपये बारह लाख सड़सठ हजार मात्र	12,67,000 रुपये बारह लाख सड़सठ हजार मात्र	7,40,000 रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र	6,92,60,000 रुपये छह करोड़ बानबे लाख साठ हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 12,67,000	₹ 7,40,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

,,,,,

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	22 (आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	5,000 रुपये पाँच हजार मात्र	0 शून्य	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	2025-2026
कुल				₹ 12,67,000	₹ 7,40,000		

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	45 (अवकाश यात्रा व्यय)	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	22,000 रुपये बाईस हजार मात्र	0 शून्य	50,000 रुपये पचास हजार मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	42 (अन्य व्यय)	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	4,00,000 रुपये चार लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	29 (अनुरक्षण)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	1,40,000 रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र	1,40,000 रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र	6,40,000 रुपये छह लाख चालीस हजार मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	2025-2026
089	2040008000600 (वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ)	08 (कार्यालय व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	0 शून्य	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 12,67,000	₹ 7,40,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है-

शासन द्वारा वर्तमान वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में अनुदान संख्या-089 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2040 बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय आयोजनेत्तर के उपशीर्षक-06 वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की मानक मद सं0-01 वेतन से सम्भावित बचत रु० 12.67 लाख (रुपये बारह लाख सड़सठ हजार मात्र) की बचत होने की पूर्ण सम्भावना है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है-

1. मद सं०-**08** कार्यालय व्यय

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** में मानक मद सं**0-08** कार्यालय व्यय के अंतर्गत रू**0 20,00,000.00 (**रू० बीस लाख) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था, प्रश्नगत मद में माह जनवरी**, 2026** तक मद संख्या-**08,** मद संख्या-**11,** मद संख्या-**42** एवं मद संख्या-**51** में ग्रुपिंग के माध्यम से रु0 **24,88,693,00 (**रु० चौबीस लाख अठठासी हजार छः सौ

तिरानबे मात्र) का भुगतान किया जा चुका है तथा रु**0 31,307.00 (**रु० इकतीस हजार तीन सौ सात मात्र) की धनराशि अवषेश है। वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-26** में उ**0**प्र**0** राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में अब तक किये व्यय के आधार पर अग्रिम दो माहों में मद संख्या-**08** में लगभग रु **5,00,000.00 (**रु0 पांच लाख मात्र) से सम्बन्धित बिलों/देयको की धनराशि का व्यय होना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-2026** में रुपया-**5,00,000.00 (**रु० पांच लाख मात्र) की आवश्यकता है।

2. मद सं**0-11** स्टेशनरी:-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** में मानक मद सं**0-11** स्टेशनरी के अंतर्गत रू०-**100000.00 (**एक लाख रु०) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था**,** जब कि वित्तीय वर्ष **2025-2026** के लिये अनुमानित व्यय को दृष्टिगत रखते हुये रु**0-200000.00 (**दो लाख रु०) की मांग की गयी थी। प्रश्नगत मद में माह जनवरी **2026** तक ग्रुपिंग के माध्यम से रु**0 10,17,128,.00 (**रु**0** दस लाख सत्रह हजार एक सौ अटठाइस) का भुगतान किया जा चुका है वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-26** में उ**0**प्र**0** राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान लखनऊ एवं प्रषिक्षण संस्थान गाजियाबाद में प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकम निरन्तर मार्च **2026** तक चलने हैं**,** जिस कारण इस मद में रू-**200000.00 (**दो लाख रु०) की आवश्यकता है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त दो लाख का व्यय ग्रुपिंग के माध्यम से भी सम्भव नहीं हो पर रहा है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-2026** में रुपया **2.00** लाख (रु० दो लाख) की आवश्यकता है।

3. मद सं**0-22** आतिथ्य व्यय :-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** में मानक मद सं**0-22** आतिथ्य के अंतर्गत रू०-**50,000.00 (**पचास हजार मात्र) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था**,** प्रश्नगत् मद में माह जनवरी **2026** तक रु**0 33,925,00 (**रु० तैतीस हजार नौ सौ पचीस मात्र) का भुगतान किया जा चुका है तथा रु**0 16,075.00 (**रु० सोलह हजार पचहत्तर मात्र) की धनराशि अवषेश है।

अतः उक्त मद में अवशेष व्यय के अनुसार सम्पूर्ण बिलों के निस्तारण हेतु प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-2026** में रुपया **5000.00 (**रु० पांच हजार मात्र) की आवश्यकता है।

4. मद सं**0-29** अनुरक्षण व्यय :-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** में मानक मद सं**0-22** आतिथ्य के अंतर्गत रू०-**5,00,000.00 (**रू० पांच लाख मात्र) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था**,** उक्त मद में माह जनवरी **2026** तक रु**0 4,71,951.00 (**रु० चार लाख इकहत्तर हजार नौ सौ इक्यावन मात्र) का भुगतान किया जा चुका है तथा रु**0 28,049.00 (**रु० अटठाइस हजार उन्चास मात्र) की धनराषि अवशेष है। संयुक्त निदेशक (नजारत) के पत्रांक संख्या-**2299** दिनांक **03.02.2026** द्वारा यह अवगत कराया गया कि उक्त मद में अवशेष बिलों के निस्तारण हेतु भुगतान रुपया **140,000.00 (**रु० एक लाख चालीस हजार मात्र) का भुगतान किया जाना सम्भावित है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-2026** में रुपया **140,000.00 (**रु० एक लाख चालीस हजार मात्र) की आवष्यकता है।

5. मद सं**0-42** अन्य व्ययः-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** मानक मद **42** अन्य व्यय से संबंधित भुगतान के अंतर्गत रू**0-4,00,000.00 (**चार लाख रु०) की धनराषि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था**,** जब कि वित्तीय वर्ष **2025-2026** के लिये रु**0-6,00,000.00 (**रू०-छः लाख मात्र) । प्रश्नगत मद में माह जनवरी**, 2026** तक रु**0 4,30,000.00 (**रु० चार लाख तीस हजार मात्र) व्यय हो चुका है।

उप निदेशक (प्रषिक्षण) के पत्रांक संख्या-**2103** दिनांक **07.01.2026** द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रशिक्षण संस्थान**,** लखनऊ तथा गाजियाबाद में माह मार्च **2026** तक निरन्तर प्रषिक्षण कार्यक्रम संचालित होने हैं और इसके अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु अतिथि वार्ताकारों के अवषेष भुगतान हेतु एवं सम्भावित भुगतान के कारण प्रश्नगत मद में मार्च **2026** तक रू-**4,00,000.00 (**रू. चार लाख) का व्यय किये जाने की सम्भावना है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-2026** में रुपया **4,00,000.00 (**रू. चार लाख) की आवश्यकता है।

6. मद सं**0-45** अवकाष यात्रा व्यय :-

प्रश्नगत मद में चालू वित्तीय वर्ष **2025-26** में मानक मद सं**0-45** अवकाश यात्रा व्यय के अंतर्गत रू**0 - 50,000.00 (**रू० पचास हजार) की धनराशि का बजट शासन द्वारा आंबटन किया गया था**,** उक्त मद में माह जनवरी**, 2026** तक ग्रुपिंग के माध्यम से रु**0 4,58,520,00 (**रु**0** चार लाख अठठावन हजार पांच सौ बीस मात्र) का भुगतान किया जा चुका है तथा रु**0 3,480.00 (**रु० तीन हजार चार सौ अस्सी मात्र) की धनराशि अवशेष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-26** में उ०प्र० राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान**,** में मद संख्या-**45** में अवकाष यात्रा से सम्बन्धित एक बिल/ देयक धनराशि रू.**21,080.00 (**रु० इक्कीस हजार अस्सी मात्र) का भुगतान किया जाना है।

अतः प्रश्नगत मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष **2025-2026** में रुपया-**22.000.00 (**रु० बाइस हजार मात्र) की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाना है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-612-E-9-506-X-2025-26-दिनांक: 23-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

सिद्धार्थ श्रीवास्तव

अपर निदेशक वित्त।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, लखनऊ/ जवाहर भवन लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9
7. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

अरविन्द सिंह
उप सचिव।